

# न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या 54/22

दायरा दिनांक :- 01.12.2022

पीठासीन अधिकारी :- श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

रूपसिंह पुत्र महेश जाति सहरिया निवासी गरडा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)

- अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जयें सहायक वन संरक्षक, बारां ।

- रेस्पोडेण्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.ए.

निर्णय

दिनांक :- 20.12.2022

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.ए.क्ट के तहत सहायक वन संरक्षक, बारां के प्रकरण संख्या 151/2020 निर्णय दिनांक 29.01.2021 के विरुद्ध पेश की है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को वनखण्ड जैसवा ए ग्राम जैसवा की आराजी खसरा नम्बर 41, 42 रकबा 48 बीघा, वन भूमि पर अतिक्रमी मानकर 3400/-जुर्माना, फसल कीमत एवं बेदखली के आदेश दिए गए हैं, साथ ही अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर 3 माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि उक्त निर्णय प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं कानून के खिलाफ होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जबाब व साक्ष्य पेश करने का मौका नहीं दिया गया है तथा एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। अतः उक्त निर्णय निरस्त फरमावें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली की तलबी की गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराने के साथ साथ अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी की अनुपस्थिति में मनमाने ढंग से एकपक्षीय निर्णय पारित किया जाकर सजा से दंडित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के पास अपीलार्थी को द्वितीय अतिचारी माना जाने योग्य कोई ठोस आधार नहीं है। कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं लिया गया है। अपने कथन की पुष्टि में अपीलार्थी के अभिभाषक ने आर.आर.डी. 2001 पेज 401 प्रस्तुत की जिसके अनुसार पश्चातवर्ती अतिचारी सिद्ध करने हेतु विवादग्रस्त आराजी से बेदखली के आदेश एवं बेदखलीनामा की प्रति संलग्न करना जरूरी है। मात्र क्षेत्रीय वन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए दंडित किया गया है। वकील प्रार्थी का कथन है कि वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करने योग्य है।

हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील के तर्कों पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया जिसमें पश्चातवर्ती अतिचारी सिद्ध करने हेतु विवादग्रस्त आराजी से बेदखली के आदेश एवं बेदखलीनामा की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं है। स्वतंत्र गवाह के बयान भी नहीं लिए गए हैं। अपीलांट के वकील द्वारा प्रस्तुत नजीर इस प्रकरण पर चस्पा होती है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का शेष निर्णय यथावत रखते हुए सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि न्यायालय के निर्णय की पालना में उक्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया हो एवं तावान राशि जमा करा दी हो। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तदनुसार कार्यवाही हेतु वापिस भेजी जावे। पत्रावली फौसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
शाहबाद (बारां)

